RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : रविवार 06 जुलाई 2025 वर्ष 07 अंक 78 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

मुंबई : मेट्रो लाइन 9 कार शेड परियोजना के लिए प्रस्तावित 10,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के खिलाफ रैली

Page - 2

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिए स्पष्ट निर्देश

रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत विभागीय कार्रवाई शुरू करे

मुंबई : 17 जून 2025 के दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार तुरंत विभागीय कार्रवाई शुरू करे।

मुख्य न्यायमूर्ति आलोक आराध्य और न्यायमूर्ति संदीप वी. मारने की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका क्रमांक 26/2023 पर सुनवाई करते हुए दिया। यह याचिका उल्हासनगर के आरटीआई कार्यकर्ता प्रकाश केसवानी और सामाजिक कार्यकर्ता संजय पांडे द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र में कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रंगेहाथ रिश्वत लेते

पकड़े गए हैं, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, और वर्षों से लंबित मामलों के बावजूद उन्हें पदोन्नति तक दी जा रही है।

उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को आदेश दिया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े जितने भी विभागीय प्रकरण लंबित हैं, उन्हें अधिकतम दो वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से निपटाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामलों की प्रगति पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

न्यायालय की सख्त टिप्पणी:

न्यायालय ने सख्त लहजे में टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में देरी जनहित के खिलाफ है और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में लापरवाही या टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती।

राज्य सरकार की दलील खारिज:

राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि कुछ मामलों में जांच प्रक्रियाधीन है और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। लेकिन न्यायालय ने यह तर्क अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि जांच को अनिश्चितकाल तक खींचना स्वीकार्य नहीं है और सभी मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

दो दशक तक अलग रहने के बाद

उद्धव ठाकरे ने की अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ सुलह

मुंबई : शिवसेना उत्तराधिकार को लेकर दो दशक तक अलग रहने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ सुलह कर ली है। शनिवार को मुंबई में रैली के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए पहले से अलग-थलग पड़े ठाकरे भाई जोरदार तरीके से पेश आए।

मराठी में बोलते हुए राज ठाकरे ने कहाः ''चाहे गुजराती हो या कोई और, मराठी जरूर आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। फिर भी, अगर कोई नाटक करता है, तो आपको उसके कान के पर्दे के नीचे मारना चाहिए।'' राज ने कहा, ''अगर आप किसी को पीटते हैं, तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटे गए व्यक्ति को बताएं कि उसे पीटा गया है; आपको सभी को बताने की जरूरत नहीं है।''

मनसे प्रमुख जाहिर तौर पर ठाकरे के लोगों द्वारा मराठी में बात न करने पर सड़क पर सामान बेचने वालों सहित लोगों को थप्पड़ मारने और धमकाने की आलोचना को संबोधित कर रहे थे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का बहुचर्चित पुनर्मिलन ''मराठी गौरव'' की पृष्ठभूमि में हुआ, जो भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पेश करने के कदम से प्रेरित था - एक ऐसा निर्णय जिसे बाद में तीव्र विरोध के बाद वापस ले लिया गया था।

शुरू में मूल कदम के विरोध के रूप में घोषित, मुंबई में राज और उद्धव ठाकरे की रैली को वापसी के जश्न में बदल दिया गया। ''हां हम गुंडे हैं...'' उद्धव ठाकरे ने कहा ''मराठी गौरव'' के राज ठाकरे के दावे के बाद उद्धव ठाकरे ने भी वही भावनाएँ दोहराईं। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने भी मराठी में बात करते हुए कहाः ''हां, हम गुंडे हैं; अगर हमें न्याय पाने के लिए गुंडे बनना पड़ा, तो हम गुंडागिरी करेंगे।''

मुंबई : गड्ढों से भरी हुई है ईस्टर्न फ्रीवे के नीचे की सड़क

मुंबई : सेवरी में पारंपरिक स्थान- ईस्टर्न फ्रीवे के नीचे की सड़क इस साल भी गड्ढों से भरी हुई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सड़क, जिसे आमतौर पर बीपीटी रोड कहा जाता है, का व्यापक रूप से दोपहिया और भारी वाहनों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिन्हें फ्रीवे फ्लाईओवर पर जाने की अनुमति नहीं है। सड़क सेवरी रेलवे स्टेशन को भी जोड़ती है, इससे ट्रैफि क का भार बढ़ जाता है। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि सड़क मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आती है और नागरिक निकाय ने प्राधिकरण को गड्ढों को भरने, सड़क को फिर से बनाने के लिए याद दिलाया है।

मुंबईः कानून को अपने हाथ में लेने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में लोगों से मराठी बोलने की अपेक्षा करना उचित है, लेकिन इसे लागू करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर किसी को भी ''जिद्दी'' नहीं होना चाहिए।

फडणवीस ने यह भी चेतावनी दी कि इस मामले में कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उनकी टिप्पणी हाल ही में हुई दो घटनाओं के मद्देनजर आई है, एक घटना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं द्वारा ठाणे जिले के भयंदर में एक फूड स्टॉल मालिक पर मराठी न बोलने के कारण हमला करने की थी; और दूसरी घटना मुंबई में एक व्यवसायी द्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा

मनपा शौचालयों में चल रहा दम मारो दम

भायंदर। मिरा-भायंदर मनपा के शौचालयों में इन दिनों नशेड़ियो का कब्जा होते जा रहा हैं। यह नशा करने वाले मनपा के शौचालय में बैठ कर नशा करते हैं। भायंदर (पश्चिम) स्थित जय अंबे नगर एवं गणेश देवोल नगर में इन नशेड़ियों ने शौचालयों को नशा करने का अड्डा बना दिया हैं। इन नशेड़ियों के डर के कारण यहां लोग इन शौचालयों में जाने से भी डरते हैं। मनपा द्वारा इन शौचालयों की देखरेख के लिए ठेकेदार को नियुक्त किया गया हैं। ठेकेदार ने प्रत्येक शौचालयों की देखरेख के लिए सफाई कर्मचारीयों की नियुक्ति

की हैं। यहां पर इन नशा करने वालों का इतना खौफ हैं की यह सफाई कर्मचारी भी इनकों रोक नही पाते हैं। इन दोनों परिसर के लोगों को इसकी जानकारी हैं परन्तु इन नशा करने वालों के डर से कोई इनके विरोध में बोल नही पाता हैं। कहा जा रहा हैं की अगर इन नशा करने वालों को कोई रोकता हैं तो यह लोग विरोध करने वालों पर ब्लेड से हमला तक कर देते हैं। हमारे पास इन नशा करने वालों के सबूत भी मौजूद हैं जो शौचालयों में बिना किसी डर के बैठ कर नशा करते हैं। अगर इन शौचालयों में यही हाल रहा तो लोग इन शौचालयों में आने से डरेंगे। वहीं जय अंबे नगर एवं गणेश देवोल नगर की तरह सभी शौचालयों का भी यही हाल हो सकता हैं।

संपादकीय...

फेक न्यूज पर कानून या अभिव्यक्ति पर शिकंजा?

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

देश में इंटरनेट का प्रसार बढ़ रहा है और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तथा डीपफेक के इस्तेमाल में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में फर्जी खबरों यानी फेक न्यूज के कारण सामाजिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उनसे निपटने के लिए हमें सावधानीपूर्वक संतुलन कायम करना होगा। अपेक्षाकृत तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में तकनीकी रूप से पिछड़ी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर समस्याएं पैदा करेगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि भारत में अधिकारी उठाए जाने वाले नियामकीय कदमों को लेकर सतर्क रहें। दुर्भाग्यवश इन दिनों कर्नाटक में यह सतर्कता नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया है जो फर्जी खबरों या अन्य दिक्कतदेह सामग्री तैयार करने पर सात वर्ष तक के कारावास की बात कहता है। यहां समस्या यह है कि फेक यानी 'फर्जी खबरों' की परिभाषा तय करने का काम एक विशेष समिति के हवाले कर दिया गया है जिसकी बात विधेयक में की गई है। इस कानून का इरादा समझा जा सकता है लेकिन यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे कानून का अत्यधिक इस्तेमाल भी समस्याएं पैदा कर सकता है। कर्नाटक सरकार ने इस बात पर समुचित विचार नहीं किया कि इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या असर होगा।

विधेयक एक ऐसी समस्या को प्रदर्शित करता है जो किसी एक राज्य भर की नहीं है। देश में सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारी बहुत हद तक अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाने के काम में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने कई अवसरों पर सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को संशोधित किया है ताकि वह स्वयं को अधिक शक्ति संपन्न बना सके और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगा सके। गत वर्ष सितंबर में बंबई उच्च न्यायालय ने उन बदलावों के एक पहलू को नकार दिया था जिनके जरिये सरकार एक 'फैक्ट चेक यूनिट' बना सकती थी जिसके तहत भारतीय इंटरनेट से कोई खबर हटाने का आदेश दिया जा सकता था। कानून व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और उन्होंने भी ऐसे तरीके तलाशने की तेजी दिखाई है जो उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने में मदद करें। कई राज्यों ने फैक्ट चेक यूनिट कायम की हैं परंतु कुछ राज्यों ने तो इससे भी आगे बढ़कर कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र ने तथाकथित 'अर्बन नक्सल' के खिलाफ बिल प्रस्तावित किया है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर वाम धड़े के असल चरमपंथियों के लिए नहीं (खुशकिस्मती से इन दिनों यह समस्या समाप्त हो रही है) बल्कि अकादमिक तंत्र में सत्ता से असहमत लोगों के लिए किया जा रहा है।

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई : मेट्रो लाइन 9 कार शेड परियोजना के लिए प्रस्तावित 10,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के खिलाफ रैली

मुंबई : कैथोलिक चर्च ने अपने सदस्यों से कहा है कि वे रविवार सुबह मेट्रो लाइन 9 कार शेड परियोजना के लिए प्रस्तावित 10,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के खिलाफ आयोजित रैली में डोंगरी और भयंदर पूर्व के अन्य गांवों के निवासियों का समर्थन करें। पुलिस ने शुक्रवार को क्षेत्र में सोमवार तक सार्वजनिक समारोहों के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की। जोनल बिशप ऑल्विन डिसिल्वा ने मुंबई भर के पुजारियों को पत्र लिखकर उनसे 6 जुलाई की सुबह रैली में शामिल होने के लिए चर्च के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। डिसिल्वा ने मुंबई के चर्चों को लिखे पत्र में कहा कि हम भयंदर पूर्व और पश्चिम के लोग डोंगरी निवासियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वे प्रकृति प्रेमियों के साथ भयंदर से उत्तान-पल्ली चौक तक श्रृंखलाबद्ध रैलियां आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। डोंगरी के आवर लेडी ऑफ बेथलेहम के पैरिश पादरी फादर ऑस्कर मेंडोंका ने कहा कि यह काले झंडों के साथ एक मौन विरोध होगा। मेंडोंका ने कहा, ''यह संदेश देना महत्वपूर्ण है कि लोग पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। हमें इस मुद्दे का समर्थन करना चाहिए।'' मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण 13.5 किलोमीटर लंबे दहिसर से भयंदर मेट्रो के लिए एक अस्तबल और रखरखाव डिपो बनाने की योजना बना रहा है। यह खंड अंधेरी ईस्ट और दहिसर ईस्ट के बीच मौजूदा लाइन 7 का विस्तार होगा। मार्च 2025 में, पेड़ों की कटाई के बारे में एक सार्वजनिक नोटिस के बाद, स्थानीय निवासियों ने 12 हेक्टेयर के डिपो के लिए एक जंगली पहाड़ी को समतल करने का विरोध किया था। क्षेत्र के 10 गांवों के निवासियों ने साइट पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए 22 जून को उत्तन में एक बैठक आयोजित की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी भी पेड़ों की कटाई की जा रही है। जंगल को बचाने के इच्छुक निवासियों ने कहा कि परियोजना को ऐसे इलाके में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जहां पर्यावरण पर प्रभाव कम हो। क्षेत्र के एक नागरिक कार्यकर्ता लूर्डेस डिसूजा ने कहा, ''पहाड़ी एक खूबसूरत जंगल से ढकी हुई है। पहले ही, हमने मीरा-भयंदर निगम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डंपिंग ग्राउंड में एक पहाड़ी खो दी है,'' डिसूजा ने कहा। प्रदर्शनकारियों ने डोंगरी जंगल में पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव को रद्द करने, परियोजना के लिए वैकल्पिक, खाली भूमि की पहचान और आवंटन करने तथा ऐसी विकास परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र पारिस्थितिकी और पर्यावरण समिति की नियुक्ति की मांग की है।

पनवेल : अयोग्य चिकित्सकों पर बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित की

पनवेल : पनवेल नगर निगम ने अपने क्षेत्राधिकार में अयोग्य चिकित्सकों पर बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित की। यह बैठक कामोठे के समाज केंद्र में आयोजित की गई। इस सत्र में खारघर, कामोठे, कलंबोली, खंडा कॉलोनी और पनवेल शहर सहित पनवेल भर के निजी चिकित्सकों के संघों के अध्यक्ष और पदाधिकारी एकत्रित हुए। एजेंडा नगरपालिका क्षेत्र में काम कर रहे फर्जी डॉक्टरों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकारी निर्देशों को लागू करने पर केंद्रित था। उपस्थित लोगों को प्रमाणन जांच के संबंध में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के बारे में बताया गया और लागू की जा रही कार्ययोजना की रूपरेखा बताई गई।

एक अधिकारी ने बताया, ''चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के सचिव के रूप में नगरपालिका स्तर की एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। जमीनी निरीक्षण करने के लिए वार्ड स्तर की क्षेत्रीय समितियां भी बनाई गई हैं।'' इन समितियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निजी चिकित्सकों के क्लीनिकों का दौरा करने के लिए चिकित्सा योग्यता की जांच करने की जानकारी दी गई। किसी भी विसंगति की सूचना नगरपालिका समिति को दी जाएगी और जिन मामलों में फर्जी डॉक्टर पाए जाते हैं, उन पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। प्रशासन ने सभी चिकित्सकों से अधिकारियों के साथ सहयोग करने और दस्तावेजीकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की। चिकित्सा अधिकारी ने कहा, ''यह बैठक नागरिकों को बिना लाइसेंस वाली और संभावित रूप से हानिकारक चिकित्सा पद्धतियों से बचाने के लिए एक गंभीर अभियान की शुरूआत है।''

मुंबई : सेंट जॉर्ज अस्पताल को लीवर प्रत्यारोपण करने की आधिकारिक मंजूरी...

मुंबई : किफायती स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए, मुंबई में सरकारी सेंट जॉर्ज अस्पताल को लीवर प्रत्यारोपण करने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को लाइसेंस प्रदान किया, जो सार्वजनिक अस्पताल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और उन रोगियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो निजी सुविधाओं में महंगी प्रक्रियाओं का खर्च नहीं उठा सकते। अस्पताल ने अगस्त 2024 में लीवर प्रत्यारोपण लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। हालांकि, कड़े मानदंडों को पूरा करने में प्रशासन और चिकित्सा दल को लगभग 10 महीने तक लगातार प्रयास करना पड़ा। सरकारी सुविधा के रूप में, सेंट जॉर्ज अस्पताल में लीवर प्रत्यारोपण की लागत निजी अस्पतालों में 20-25 लाख रुपये की तुलना में काफी कम होने की उम्मीद है - लगभग 5 लाख रुपये।

मरीजों को विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और दानदाताओं द्वारा वित्तपोषित सहायता का भी लाभ मिलेगा, जिससे वित्तीय बोझ और कम होगा। सुविधाओं की लागत लगभग 4 करोड़ रुपये है। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि परिसर में एक आधुनिक लीवर प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें चार बेड वाली एक समर्पित आईसीयू इकाई है - दो प्राप्तकताओं के लिए और दो दाताओं के लिए। लीवर से संबंधित ओपीडी सेवाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं। अस्पताल निजी अस्पतालों से अनुभवी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन भी ला रहा है, और ओपीडी सेवाओं की देखरेख के लिए एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को नियुक्त किया गया है।

शुरूआत में, राज्य द्वारा संचालित अस्पताल लिवर ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए एक प्रसिद्ध निजी अस्पताल के साथ गठजोड़ करेगा। वे भविष्य के ऑपरेशन के लिए अस्पताल की टीम को सिखाएंगे और प्रशिक्षित भी करेंगे। वे मानद के रूप में पढ़ाएंगे और सार्वजनिक अस्पताल की टीम का मार्गदर्शन करेंगे। वर्तमान में, नागरिक संचालित केईएम अस्पताल में यह सुविधा है और यह राज्य द्वारा संचालित पहला अस्पताल होगा। इस पहल से न केवल अस्पताल की चिकित्सा क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जीवन रक्षक उपचार भी उपलब्ध होगा।

मुंबई : होम्योपैथी डॉक्टरों को एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया जाएगा...

मुंबई : महाराष्ट्र के चिकित्सा समुदाय में एक नया विवाद छिड़ गया है जब महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) ने घोषणा की कि आधुनिक फामाकोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स (सीसीएमपी) पूरा करने वाले होम्योपैथी डॉक्टरों को अब आधुनिक (एलोपैथिक) चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया जाएगा। इस कदम का भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) महाराष्ट्र ने कड़ा विरोध किया है, जिसने अपनी चिंताओं को उजागर करने के लिए लघु फिल्मों सहित सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान की धमकी दी है। माना जाता है कि आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने होम्योपैथी डॉक्टरों की लंबे समय से लंबित मांग को मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आरटीआई आवेदनों और औपचारिक पत्राचार के माध्यम से राज्य सरकार, मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य विभाग के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया।

इस फैसले से सीसीएमपी-प्रमाणित होम्योपैथ के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में कानूनी रूप से एलोपैथिक दवाएं लिखने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गलगली के अनुसार संशोधित कानून के तहत इन डॉक्टरों का पंजीकरण अनिवार्य था, लेकिन कार्यान्वयन में वर्षों तक देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का काफी नुकसान हुआ। एक बार प्रमाणित होने के बाद, डॉक्टरों को कानूनी तौर पर परिभाषित परिस्थितियों में एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति होती है। हालांकि, एमएमसी के फैसले ने परिषद के साथ पंजीकृत योग्य एलोपैथिक डॉक्टरों (एमबीबीएस और उससे ऊपर) के समुदाय से कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। आईएमए मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आईएमए महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष डॉ अनिल पचनेकर ने कहा कि एमएमसी एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आधुनिक चिकित्सा चिकित्सकों को विनियमित करना है, जबकि होम्योपैथी डॉक्टरों के पास एक अलग नियामक प्राधिकरण है - महाराष्ट्र होम्योपैथी परिषद। उन्होंने कहा कि छह महीने के सीसीएमपी की तुलना कठोर एमबीबीएस डिग्री से नहीं की जा सकती, जिसके लिए कई वर्षों के अकादमिक अध्ययन और नैदानिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। डॉ. पचनेकर ने कहा, ''हम सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें लघु फिल्में भी शामिल हैं, इस निर्णय के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करेंगे।''

मुंबई : ईओडब्ल्यू ने की 65 करोड़ रुपये के मीठी नदी सफाई घोटाले की जांच तेज ...

मुंबई : पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 65 करोड़ रुपये के मीठी नदी सफाई घोटाले की जांच तेज कर दी है। ईओडब्ल्यू सूत्रों के अनुसार, अधिकारी जल्द ही उन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बयान दर्ज करना शुरू करेंगे, जिन्होंने 2020 से 2025 के बीच बीएमसी की निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी भूपेंद्र पुरोहित द्वारा नियंत्रित कंपनियों को दिए जा रहे ठेकों के पक्ष में जानबूझकर उन्हें बाहर रखा गया था। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मीठी नदी सफाई परियोजना से जुड़े 65 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच तेज कर दी है। ईओडब्ल्यू उन कंपनियों से जुड़े व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के लिए तैयार है, जिन्होंने 2020 से 2025 के बीच निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी भूपेंद्र पुरोहित के स्वामित्व वाली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बीएमसी अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर साजिश के तहत उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। ईओडब्ल्यू ने पाया है कि हर साल लगभग 20-25 कंपनियां मीठी नदी सफाई निविदा के लिए बोली लगाती हैं। हालांकि, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों ने पुरोहित के साथ कथित मिलीभगत करके टेंडर में चुनिंदा तकनीकी और विशेष शर्तें शामिल कीं, जिससे अन्य सभी कंपनियां अयोग्य हो गईं।

भिवंडी-वाडा महामार्ग बना जानलेवा रास्ता

अब तक 75 लोगों की मौत, प्रशासन मौन

भिवंडी : भिवंडी-वाडा महामार्ग की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि यह सड़क अब जानलेवा साबित हो रही है। पूरे मार्ग पर गहरे और खतरनाक खड्डे बने हुए हैं। इनमें बारिश का पानी भरकर खड्डों को छोटे तालाबों में तब्दील कर चुका है। हर दिन इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। हालत यह है कि मामूली चूक भी गंभीर हादसों में बदल रही है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार अब तक इस मार्ग पर 75 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। कई लोगों को स्थायी रूप से अपंगता का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद सार्वजनिक बांधकाम विभाग की ओर से कोई ठोस उपाय आज तक नहीं किया गया है। इस गंभीर स्थिति के खिलाफ अब तक कई बार आंदोलन हो चुके हैं। स्थानीय सांसद, विधायक, राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने अनेक बार इस मुद्दे को उठाया है। दो । दो दिन पहले ही सत्ताधारी पक्ष के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसी मार्ग पर जोरदार आंदोलन किया था। बावजूद इसके, खड्डों की स्थिति जस की तस बनी हुई है।

यात्रियों में भय और रोष व्याप्त

सड़क पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन धरातल पर कुछ भी बदलता नजर नहीं आ रहा। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जो आश्वासन दिए थे, वे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। सड़क की खस्ताहालत देखकर अब यात्रियों में भय और रोष दोनों व्याप्त है। एक यात्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांसद, विधायक और सामाजिक संगठनों के आंदोलन और दौरे सब बेअसर साबित हुए हैं। अब तक 75 जानें जा चुकी हैं, सैकड़ों लोग घायल है। एमएमआरडीए के अधिकारी दत्तू गीते भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार ने आम जनता को इस मौत के रास्ते के हवाले कर दिया है।

वसई : वीवीसीएमसी ने नकली दवा आपूर्तिकर्ता को किया ब्लैकलिस्ट

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई कब ?

वसई : वसई विरार शहर महानगरपालिका ने नकली दवाओं की आपूर्ति के आरोप में नालासोपारा स्थित मेसर्स प्राणिक एंटरप्राइजेज को में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई सिफिक्साइम 200 एमजी एंटीबायोटिक की 70,000 स्ट्रिप्स नकली थीं। एफडीए ने इस मामले में वालिव पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराई है। वीवीसीएमसी ने प्राणिक एंटरप्राइजेज को ब्लैकलिस्ट करने के साथ-साथ उनसे सभी मौजूदा खेपों की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल

इस पूरे प्रकरण में महानगरपालिका के डॉक्टरों और अन्य अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिवसेना नेता सुदेश चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाड़े से मुलाकात कर इस मामले की गहन जांच किसी तीसरे पक्ष की संस्था से कराने की मांग की है। उन्होंने घोटाले में शामिल सभी जिम्मेदार डॉक्टरों और अधिकारियों से पूछताछ करने और उनकी जवाबदेही तय करने की मांग की है।

निविदा प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप

भाजपा वसई रोड मंडल अध्यक्ष महेश सरवणकर ने आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे तत्वों का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्यकताओं ने वीवीसीएमसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि नकली दवाओं की आपूर्ति के संबंध में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद केवल विक्रेता को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि निविदा प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

आजाद मैदान पुलिस ने जीआर की प्रतियां जलाने के मामले में दर्ज किया एफआईआर

मुंबई : आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के करीब 250 से 300 कार्यकताओं और नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने बिना किसी पूर्व अनुमति के सरकारी आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले परिपत्र की प्रतीकात्मक प्रतियां जलाईं। एफआईआर के अनुसार, यह प्रदर्शन 29 जून को दोपहर 2:00 से 3:30 बजे के बीच मराठी पत्रकार संघ भवन, मनपा रोड के बाहर किया गया था। शिकायतकर्ता सुरज धोंडीराम खोत (32), आजाद मैदान पुलिस थाने में मिल स्पेशल पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन स्कूल शिक्षा अभ्यास व कृती समन्वय समिती के प्रतिनिधि डॉ. दीपक पवार द्वारा आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं और महायुती सरकार मुदार्बाद जैसे नारे लगाए और परिपत्र की छपी प्रतियों को जलाया। इसके अलावा, उन्होंने परिपत्र से लिपटे एक पुतले को भी जलाया। इस दौरान पुलिस निरीक्षक पडवाल, एपीआई शाह और पीएसआई लिंगे की उपस्थिति में भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के आदेशों की अनदेखी कर प्रदर्शन जारी रखा, जिससे धारा 144 का उल्लंघन हुआ। पुलिस उपायुक्त डॉ. प्रविण मुंढे के अनुसार, यह प्रदर्शन सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाला था।

जल्द शुरू होगा अंधेरी ईएसआईसी अस्पताल

दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा मरम्मत का काम

आपला दवाखाना में होगी मरीजों की मुफ्त जांच

मुंबई : जन स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने को प्राथमिकता दे रही है। अंधेरी स्थित ईएसआईसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की मरम्मत और नवीनीकरण का काम शुरू है। यह काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद यह अस्पताल लोगों की सेवा देने के लिए तैयार हो जाएगा। शुक्रवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विधायक मुरजी पटेल ने इस विषय से संबंधित सवाल किया था। चर्चा का उत्तर देते हुए प्रकाश आबिटकर ने कहा कि उन्होंने खुद अंधेरी ईएसआईसी अस्पताल का दौरा किया और स्वास्थ्य, राज्य और केंद्रीय श्रमिक बीमा मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की है और अधिकारियों ने अस्पताल को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए।

लोगं को मिलेगा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ

उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में न केवल ईएसआईसी बल्कि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना भी शामिल की जाएगी। इससे अधिक से अधिक नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और मुफ्त इलाज करा सकेंगे। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना के तहत रोगियों की मुफ्त जांच शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे। विधायक सीमा हिरे के उठाए गए सवाल पर मंत्री प्रकाश आबिटकर ने कहा कि नाशिक के ईएसआईसी अस्पताल में सुधार किया।

बेकरी मालिकों पर होगी कार्रवाई !

नहीं कर रहे स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित, 383 में 74 बेकरियों ने लकड़ी से गैस पर किया परिवर्तित...

मुंबई : लकड़ी का उपयोग करने वाले बेकरी मालिकों को मुंबई हाईकोर्ट ने गैस अथवा बिजली का उपयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की दी गई मोहलत और उसके बाद समय सीमा बढ़ाने के बावजूद बेकरी मालिक स्वच्छ और हरित ईंधन अपनाने को लेकर अनदेखी की जा रही है। शहर में कुल 386 बेकरी हैं, जिनमें से अब तक केवल 74 बेकरी ने बिजली या गैस जैसे पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल शुरू किया है। बाकी बेकरी अभी भी लकड़ी और कोयले का उपयोग कर रही हैं, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा बना हुआ है।

बता दें कि बेकरी मालिकों को दी गई मोहलत 8 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। लकड़ी और कोयले के स्थान पर स्थायी स्वच्छ ईंधन अपनाने के आदेश दिए थे। साथ ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और मुंबई महानगरपालिका को आदेश

दिए गए थे कि जो बेकरी स्वच्छ ईंधन नहीं अपनाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मार्च महीने में 33 बेकरी ने स्वच्छ ईंधन में रूपांतरण किया था, मई महीने में 13 और बेकरी और जून में 28 बेकरी इस तरह कुल 74 बेकरी ने स्वच्छ ईंधन अपनाया है। बाकी बेकरी मालिकों ने अदालत से समय बढ़ाने की मांग की है। 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई में इस पर निर्णय होगा। यदि समय नहीं मिला तो 8 जुलाई के बाद मनपा द्वारा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मनपा पहले कारण बताओ नोटिस देगी उसके बाद भी आदेशों का पालन न करने पर बेकरी बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

दो दिन पहले मनपा मुख्यालय में पर्यावरण विभाग, बेकरी यूनियन और गैस कंपनियों की बैठक हुई, जिसमें यह चर्चा की गई कि स्वच्छ ईंधन अपनाने वाली बेकरी को 35 प्रतिशत अनुदान कैसे दिया जा सकता है। मुंबई में पाव अन्य खाद्य उत्पाद तैयार करने वाली बेकरी, होटल, ढाबे, सड़क किनारे खाने-पीने की चीजें बेचने वाले और तंदूर आदि व्यवसाय बड़ी संख्या में हैं। इन व्यवसायों में लकड़ी, कोयला और अक्सर खराब क्वालिटी की लकड़ी या टूटा-फूटा फर्नीचर भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे वातावरण में धूल, हानिकारक गैसें और अन्य खतरनाक तत्व फैलते हैं, जिससे सांस, फेफड़ों और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है।

मुंबई : एपीएमसी में थोक सब्जी की कीमतों में वृद्धि

मुंबई : कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) में थोक सब्जी की कीमतों में 17 जून से 4 जुलाई के बीच तेज वृद्धि देखी गई है। बाजार की ताजा रिपोर्ट में आम तौर पर खाई जाने वाली सब्जियों जैसे भिंडी, टमाटर, ग्वार, फूलगोभी, टोंडली, करेला और धनिया की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सभी सब्जियों में, भिंडी की कीमतों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। औसत थोक दर 17 जून को 35 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 4 जुलाई को 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो कि दो सप्ताह से भी कम समय में 114% की वृद्धि है। टमाटर की औसत कीमत में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 20 रुपये से बढ़कर 21 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। हालांकि प्रतिशत वृद्धि मामूली है, लेकिन व्यापारियों ने आपूर्ति में कमी और बढ़ती मांग के कारण कीमतों में वृद्धि की सूचना दी है।

पुलिस थाने में आरोपी ने काटा गला...

चोरी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था

मुंबई : चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन में एक घटना घटी, जिसमें चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए लाए गए युवक ने खुद का गला ब्लेड से काटकर आत्महत्या की कोशिश की। गला काटने वाले शख्स का नाम अक्षय बापू गायकवाड़ है। घटना के बाद पुलिस स्टेशन में भारी हंगामा हुआ, जिसमें आरोपी के परिवार के सदस्यों ने भी बाधा डाली, पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया है।

मामला चेंबूर के लाल डोंगर इलाके में हुई एक घरफोडी चोरी से जुड़ा है। आशापुरा बिल्डिंग में स्थित एक फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामान चुरा लिया था। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में अक्षय गायकवाड़ कुछ साथियों के साथ संदेहास्पद स्थिति में घूमता नजर आया था। पुलिस को मुखबिरों से भी जानकारी मिली कि उसी ने चोरी की है। घटना के बाद अक्षय अपने गांव भाग गया था, जिससे उस पर संदेह और गहरा हो गया। जैसे ही वह बुधवार को मुंबई लौटा, पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में

पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान आरोपी के पिता बापू गायकवाड़, भाई ऋतिक गायकवाड़ और मां आशा गायकवाड़ भी थाने पहुंच गए। तभी अचानक अक्षय ने कमर में छुपाकर रखा ब्लेड निकाला और अपने गले पर वार कर दिया। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और स्टोररूम के पास दीवार में सिर पटकने लगा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया।

मुंबई : एटीएम ऑपरेटर को 1.90 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में कलंबोली पुलिस ने गिरफ्तार किया..

मुंबई : हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करने वाले एक एटीएम ऑपरेटर को चार महीने की अवधि में एटीएम मशीनों में निर्धारित नकदी जमा न करके 1.90 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में कलंबोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान धनराज जितेंद्र भोईर के रूप में हुई है, जिसे कमोठे, कलंबोली और खारघर में स्थित एटीएम में नकदी लोड करने का काम सौंपा गया था। 26 फरवरी से 30 जून के बीच, भोईर विभिन्न बैंकों से प्राप्त नकदी से कई एटीएम को फिर से भरने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि, पूरी राशि जमा करने के बजाय, उसने कथित तौर पर प्रत्येक रिफिल के दौरान एक हिस्सा निकाल लिया। कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान 1.90 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज द्वारा एटीएम बैलेंस में विसंगतियों को नोटिस किए जाने के बाद धोखाधड़ी का पता चला। पिछले छह महीनों के विस्तृत ऑडिट से पता चला कि नकदी की कमी विशेष रूप से भोईर द्वारा प्रबंधित एटीएम में थी।

मुंबई : सात झीलों में संयुक्त जल भंडार कुल क्षमता का 50% तक पहुँच गया

मुंबई : शहर को पीने के पानी की आपूर्ति करने वाली सात झीलों में संयुक्त जल भंडार 7.34 लाख मिलियन लीटर (एमएल) या उनकी कुल क्षमता का 50% तक पहुँच गया है। हाल ही में 16 जून को, मुंबई को जल संकट का सामना करना पड़ा, शहर की सात आपूर्ति झीलों में संयुक्त जल भंडार घटकर सिर्फ 8.64% रह गया, जो केवल एक महीने के लिए पर्याप्त था। बीएमसी ने राज्य सरकार द्वारा आवंटित ऊपरी वैतरणा झील में आरक्षित स्टॉक से पानी निकालना भी शुरू कर दिया था। हालांकि, ठाणे और नासिक जिलों में नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद स्थिति ने नाटकीय मोड़ ले लिया।

पिछले तीन हफ्तों में, मुंबई की सात झीलों में जल भंडार 8.64% से बढ़कर 50% हो गया है इसकी तुलना में, 2024 में स्टॉक सिर्फ. 1.24 लाख एमएल या 8.59% और 2023 में 2.55 लाख एमएल या 17.66% था। जबकि मौजूदा स्तरों ने तत्काल पानी की चिंताओं को कम कर दिया है, नागरिक अधिकारी निरंतर वर्षा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। एक नागरिक अधिकारी ने कहा, ''शहर को पूरे साल निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 अक्टूबर तक इन झीलों में कुल 14.47 लाख एमएल पानी के स्टॉक की आवश्यकता है। मौजूदा स्टॉक ने निश्चित रूप से शहर में पानी के तनाव को कम कर दिया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि पूरे साल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सितंबर तक जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश जारी रहे।''

संपर्क कार्याल : रोहिरा हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई ४०००१६
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com
www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani